

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 281 /2024 दिनांक 26.11.2024

श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा को दिनांक 07.09.2024 से 12.09.2024 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों एवं दिनांक 17.09.2024 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/35/2016/ 9606

दिनांक 26.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 15228 दिनांक 20.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार